

प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-356/प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2018
आदेश

फ्यूचर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, बरेली। (कोड-850)

अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-2015-14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-64/प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	बी0टेक0	55000.00
02	बी0फार्मा0	63300.00
03	बी0आर्क0	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्क0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है उन्हें अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में संस्थान द्वारा

अपना प्रस्ताव/लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.07.2018 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से डा० मनीष शर्मा, निदेशक एवं श्री गौरव अग्रवाल, एकाउण्टेन्ट ने अवगत कराया कि संस्थान में बी०फार्मा० पाठ्यक्रम संचालित हैं।

4. समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को सुना गया एवं विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गया:-

(i) डेप्रीसिएशन पर व्ययभार

शैक्षिक संस्थान की स्थापना दीर्घ कालीन समय के लिए बिना किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार स्थापित संस्थाओं में आयकर के भुगतान का प्रभारण निहित नहीं है। अतएव परिसम्पत्तियों पर हास की गणना के लिए भी आयकर प्रभारण का उद्देश्य निहित नहीं है। चूँकि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में लाभ का उद्देश्य न होने के कारण आयकर प्रभारण की गणना अपेक्षित नहीं है। अतः डब्लू०डी०वी० अथवा एस०एल०एम० दोनों पद्धतियों से संस्था के संचालन हेतु कैश फ्लो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक मात्र प्रभाव इस व्यय को आधार बनाकर फीस निर्धारण में किया जा सकता है। संस्था द्वारा सृजित की गयी अवसंरचनाओं का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षों तक समान रूप से उपलब्ध रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कतिपय संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी परिसम्पत्तियों पर डब्लू०डी०वी० (रिटन डाउन वैल्यू) पद्धति से हास मूल्य दिया जाता है तो पहले के वर्षों में अधिक शुल्क और उसके बाद के वर्षों के शुल्क की राशि कम करने का औचित्य बनेगा। इस प्रकार संस्थाओं में स्थापित परिसम्पत्तियों पर छात्रों को समान लाभ की उपलब्धता बनाये रखने में संस्थाओं की परिसम्पत्तियों पर स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार डेप्रीशिएसन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण पाया गया है। विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में कम्पनी एक्ट-1956 में वर्णित स्टेट एण्ड पद्धति का उपयोग किया गया है।

(ii) विज्ञापन पर व्ययभार

शैक्षिक संस्थानों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एवं छात्रों को नये सत्र में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आदि देने के लिए अथवा संस्था परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने या प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री आदि क्रय

करने के लिए प्रायः विज्ञापन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक संस्थाएँ अपने संस्थान की उपलब्धियों के विषय में समय-समय पर बहुमूल्य पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो एवं टीवी के माध्यम से सजावटी विज्ञापन कर प्रचार-प्रसार कराते हैं या कभी-कभी कतिपय संस्थान विशेष इवेंट्स को एस्पॉन्सर्ड कराने में अधिक धनराशि व्यय करते हैं। ज्ञातव्य है कि संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक मदों के अन्तर्गत व्यय हुई धनराशि को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश सूचना, स्टाफ की आवश्यकता, निर्माण कार्य अथवा सामग्री क्रय के लिए टेण्डर आदि के आवश्यक मदों में ही कार्य संचालन के उद्देश्य से विज्ञापन आवश्यक है। विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधान के अनुसार शुल्क के निर्धारण में आवश्यक एवं मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विज्ञापनों के लिए वार्षिक व्यय के मद में संस्था के कुल व्यय का अधिकतम एक प्रतिशत धनराशि को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(iii) वेतनमद पर व्ययभार

संस्थाओं में छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों स्टाफ के वेतन की धनराशि व्यय के एक मुख्य मद के रूप में निहित होती है। संस्थाओं द्वारा चूँकि अभातशिप के नार्मस के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, अतएव संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप के नार्मस के अनुसार वेतनमद में धनराशि के व्यय का आंकलन कर रेगुलेट करते हुए व्यय की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है। उक्त धनराशि के सत्यापन हेतु नियमावली-2015 के प्राविधान के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती का प्रमाण-पत्र, फार्म-16 एवं नियुक्ति पत्र तथा वेतन भुगतान के प्रमाण-पत्र को संज्ञान में लिया गया है।

(iv) विकास पर व्ययभार

संस्था की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आंकलन किया जाना कम है, चूँकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/आर्कीटेक्चर कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास मद में 10 प्रतिशत की दर के अनुसार शुल्क निर्धारण किया गया है।

(v) मंहगाई पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गत तीन वर्षों में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए आधार माना गया है। अतः प्रचलित वास्तविक सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 4.44 प्रतिशत के दर से आगामी तीन वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर मंहगाई की मद को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(vi) कुल व्ययभार प्रति छात्र

संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रतिछात्र व्यय की गणना की जायेगी। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत वास्तविक छात्र-छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या से की जाय। इसमें यह तथ्य विचारणीय है कि संस्था का शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, अतएव वास्तविक छात्रों की संख्या पर आँगणन की स्थिति में यदि आगामी वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर संस्था में प्रोफिटियरिंग होगी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित भावनाओं/निर्णय के प्रतिकूल होगा। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थानों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को अखिल भारती तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की गयी है।

(vii) ब्याज पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि अवसंरचना एवं अन्य फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर ब्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो ब्याज की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि या रू0 3000/- डिग्री पाठ्यक्रम रू0 1000/- डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रति स्वीकृत छात्र संख्या जो भी कम हो व्ययभार में सम्मिलित किया गया है। ऐसे ऋण पर ब्याज की धनराशि व्ययभार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(viii) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुस्तकालय में क्रय किये गये पीरियाडिकल्स एवं जनरल की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस मद में सम्मिलित किया गया है परन्तु संस्था द्वारा क्रय की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना गया है।

(ix) विद्युत पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि विद्युत का उपयोग केवल छात्रहित में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जाये।

5. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2017-18 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2017-18 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2018-2019 के लिए सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 4.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2019-20 के लिए सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 4.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2020-21 के लिए पुनः सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 4.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में की गयी बढ़ोत्तरी क्रमशः 4.44 प्रतिशत, 4.44 प्रतिशत एवं पुनः 4.44 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया।

6. उपरोक्त बिन्दुओं एवं छात्रावास पर हुए व्यय के अनुपात को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा आगणन पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फ्यूचर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बरेली में संचालित पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
फ्यूचर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बरेली।	बी0फार्मा0	रु0 83,016.00


संस्था के शुल्क निर्धारण से सम्बंधित गणना पत्र पृष्ठ संख्या-01 से 07 तक संलग्न है।

उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2018-19 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018-19, 2019-20

एवं 2020-21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र-छात्रों से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

7. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।


8. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5(डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।


(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, फ्यूचर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, बरेली।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एफ0आर0 खान)
सचिव

FUTURE INSTITUTE OF PHARMACY, NH 24, LUCKNOW ROAD, BAREILLY, UP (AKTU COLLEGE CODE-850)

REVISED

Sr. No.	Year of establishment of Institution	Name of the Institution	City	Courses	Cost calculated based on financial data submitted by the institutions for 2017-18	4.44% Addition for 2018-19	Cost for 2018-19	Cost after 4.44% Escalation for 2019-20 on Column-8	Cost after 4.44% Escalation for 2020-21 on Column-9	Average Cost = sum (8+ +9 + 10) / 3	Development Allowance @ 10% on column 11	Approved fees for 2018-19, 19-20 and 20-21
1	2017	FUTURE INSTITUTE OF PHARMACY	BAREILLY	B.PHARMA ✓	69146	3070	72216	75422	78771	75469	7547	83016



FUTURE INSTITUTE OF PHARMACY, NH 24, LUCKNOW ROAD, BAREILLY, UP (AKTU COLLEGE CODE-850)
(SHRI RAJENDRA KUMAR GUPTA MEMORIAL TRUST)

RECURRING EXPENDITURE IN CONSOLIDATED FORM FOR THE YEAR 2017-18

S.No.	Particulars	Expenses As shown by the Institute as per Audited Balance sheet 2017-18	Expenses Disallowed due to Hostel and Other	Amount that should be allowed in our opinion	Basis of apportionment	No of Students for Expenses Proportion	Cost Per Student for B.PHARMA 4 Years Course Intake 60 Students
	Sanctioned Student Strength (No.)						
1)	Salary Expenses:						
	Principal Salary	959895	-	959895	Four Year Intake Capacity	240	4000
	Teaching Staff Salary	1768896	353779	1415117	Propotationality for Four Year Faculty	90	15724
	Non Teaching Staff Salary	1986000	397200	1588800	Propotationality for Four Year Staff	90	17653
	Sub Total (1)	4714791	750979	3963812			37376
2)	Common Operative Exp.College Admin.						
	Admission & Councelling Expenses	180563	-	180563	Four Year Intake Capacity	240	752
	Guest Facutly Expenses	105000	105000	-	Four Year Intake Capacity	-	-
	Exam Expenses	374060	374060	-	Four Year Intake Capacity	-	-
	Advertisement Expenses	345650	165801	179849	Four Year Intake Capacity	240	749
	Affiliation Inspection Expenses	645000	-	645000	Average For four year Students	150	4300
	Audit Fees	50000	-	50000	Average For four year Students	150	333
	Electricity Expenses	422525	42253	380273	Propotationality for Four Year students	90	4225
	Lab Expenses	91455	-	91455	Propotationality for Four Year students	90	1016
	Legal & Professional Charges.	66450	-	66450	Average For four year Students	150	443
	EPF and ESI Contribution	113566	-	113566	Propotationality for Four Year Staff	90	1262
	Telephone and Internet Expenses	55122	-	55122	Four Year Intake Capacity	240	230
	Travelling and Conveyance Expenses	45657	-	45657	Four Year Intake Capacity	240	190
	Freight and Cartage Expenses	35205	-	35205	Four Year Intake Capacity	240	147



Function and other Celebration Expenses	168752	-	168752	Average For four year Students	150	1125
Misc. Office Expenses	122654	-	122654	Four Year Intake Capacity	240	511
Generator Expenses	65762	6576	59186	Propotationality for Four Year students	90	658
Gift and Awards Expenses	56780	-	56780	Four Year Intake Capacity	240	237
Hostel and Mess Expenses	308750	308750	-	Four Year Intake Capacity	-	-
Insurance Expenses	59715	-	59715	Four Year Intake Capacity	240	249
Bus Running & Maintenance	320160	320160	-	Four Year Intake Capacity	-	-
Printing & Stationery Expenses	135695	-	135695	Four Year Intake Capacity	240	565
Repair and Maintenance	112432	11243	101189	Four Year Intake Capacity	240	422
Security Expenses	172800	17280	155520	Four Year Intake Capacity	240	648
Sports Expenses	86755	-	86755	Four Year Intake Capacity	240	361
Gardenning Expenses	76737	-	76737	Four Year Intake Capacity	240	320
Uniform Expenses	166750	166750	-	Four Year Intake Capacity	-	-
Student Welfare Expenses	119850	-	119850	Four Year Intake Capacity	240	499
Staff Welfare Expenses	78456	-	78456	Four Year Intake Capacity	240	327
Newspaper and Magazine Expenses	23100	-	23100	Four Year Intake Capacity	240	96
Postage and Courier Expenses	17652	-	17652	Four Year Intake Capacity	240	74
Photography Expenses	32760	-	32760	Four Year Intake Capacity	240	137
Photocopy Expenses	24658	-	24658	Four Year Intake Capacity	240	103
Publicity Expenses	85456	85456	-	Four Year Intake Capacity	-	-
Membership Expenses	13570	-	13570	Four Year Intake Capacity	240	57
Vehicle Running and Maintenance	94850	-	94850	Four Year Intake Capacity	240	395
Website Development & Maintenance	25361	-	25361	Four Year Intake Capacity	240	106
Sub Total (2)	4899708	1603329	3296379			20536



3) Interest:								
Interest and charges paid on finance	2704131	2524131	180000	Average For four year Students	150	1200		
Sub Total (3)	2704131	2524131	180000			1200		
4) Depreciation on Assets:								
Air Conditioner	68475	46791	21684	Four Year Intake Capacity		240	90	
Attendance Machine	9941	6793	3148			240	13	
Building	4137670	2631049	1506622			240	6278	
Car	226413	83018	143395			240	597	
Closest Camera	2172	796	1376			240	6	
Computer & Software	38018	27747	10271			240	43	
Electric Installation	147317	48203	99113			240	413	
Furniture and Fixture	164311	42622	121689			240	507	
Grass Cutting Machine	1485	1015	470			240	2	
Labarotary Equipment	353590	126911	226680			240	944	
Library Books	248876	64059	184818			240	770	
Lift	187500	128125	59375			240	247	
Mobile Sets	4342	-	4342			240	18	
Photostate Machine	10950	6628	4323			240	18	
Water Cooler	20850	14248	6603			240	28	
Water Pump	38408	26245	12162			240	51	
Water Purifier	6000	4100	1900			240	8	
Sub Total (4)	5666317	3258349	2407969				10033	
GRAND TOTAL OF EXPENSES	17984947	8136788	9848160				69146	

a	Cost Per Student		69145.59
b	Add: Inflation Cost @ 4.44% for 2018-19		3070.06
c	Total Cost after Inflation for 2018-19	sum (a+ b)	72215.65
d	Add: Inflation Cost @ 4.44% for 2019-20		3206.37
e	Total Cost after Inflation for 2019-20	sum (c+ d)	75422.02
f	Add: Inflation Cost @ 4.44% for 2020-21		3348.74
g	Total Cost after Inflation for 2020-21	sum (e+ f)	78770.76
h	Average Cost	= (sum C + E + G) / 3	75469.47
i	Add: Development Cost @ 10% for 2020-21		7546.95
j	Total Cost per Student for 18-19, 19-20 and 20-21	Total = (sum h + i)	83016



FUTURE INSTITUTE OF PHARMACY, NH 24, LUCKNOW ROAD, BAREILLY, UP (AKTU COLLEGE CODE-850)

AS PER COMPANIES ACT (STRAIGHT LINE METHOD)

FIXED ASSETS DETAILS

ASSETS	GROSS BLOCK AS ON 31.03.2018	ADDITION DURING THE YEAR 2017-18 AS SHOWN IN AUDITED STATEMENT	ADDITION DURING THE YEAR 2017-18 IN OUR OPINION	VALUE OF ASSETS FOR CALCULATION OF DEPRECIATION	RATE	DEPRECIATION FOR THE YEAR 2017-18	ALLOWABLE DEPRECIATION
Air Conditioner	-	456500	456500	456500	4.75%	21684	21684
Attendance Machine	-	66275	66275	66275	4.75%	3148	3148
Building	35290319	10226952	10226952	45517271	3.31%	1506622	1506622
Car	-	1509418	1509418	1509418	9.50%	143395	143395
Closet Camera	-	28960	28960	28960	4.75%	1376	1376
Computer & Software	63363	-	-	63363	16.21%	10271	10271
Electric Installation	816926	226370	226370	1043296	9.50%	99113	99113
Furniture and Fixture	1280934	-	-	1280934	9.50%	121689	121689
Grass Cutting Machine	-	9900	9900	9900	4.75%	470	470
Labarotary Equipment	1507318	1698899	1698899	3206217	7.07%	226680	226680
Library Books	305865	156179	156179	462044	40.00%	184818	184818
Lift	1250000	-	-	1250000	4.75%	59375	59375
Mobile Sets	-	28948	28948	28948	16.21%	4692	4692
Photostate Machine	55000	36000	36000	91000	4.75%	4323	4323
Water Cooler	139000	-	-	139000	4.75%	6603	6603
Water Pump	206550	49500	49500	256050	4.75%	12162	12162
Water Purifier	40000	-	-	40000	4.75%	1900	1900
Total	40955275	14493901	14493901	55449176		2408319	2408319



Notes on allowance and disallowance of Expenses

Future Institute of Pharmacy, NH24, Lucknow Road, Bareilly (College Code-850) has only one B. Pharma Course having strength of 60 Students per annum.

The institute has provided an audited balance sheet of the institution for the year ending 31st March, 2018. Our working is based on the financial statements showing total expenses. Depreciation was calculated by the institute under WDV of Income Tax Act, 1961, hence we calculated the depreciation on Gross Block on SLM. @ Companies Act, 1956 on the bases of gross block of fixed assets provided by the Institute.

On the basis of meeting held on 27/07/2018 the report has been revised on the assumption that the teaching and non teaching staff would not increase in proportion of new batches of students, hence the no. of students has been taken as 90 in place of 60. In other cases the weighted average no. of students viz. 150 on the basis of 4 years course has been taken.

The justification of disallowance for expenses (Rs. in Lac)

Sr. No.	Nature of Expenses	Exp as given	Allowable for Course	Disallowed	Remarks
1.	Teaching staff	17.69	14.15	3.54	Excess expenses on Teaching staff disallowed i.e. 20%
2.	Non Teaching staff	19.86	15.89	3.97	Excess expenses on Non Teaching staff disallowed i.e. 60%
3.	Guest Faculty Expenses	1.05	-	1.05	Guest faculty fully disallowed since salary of teaching staff has been considered above on the basis of 90 students.
4.	Exam Expenses	3.74	-	3.74	Examination expenses are disallowed as institute is taking examination fees separately.
5.	Advertisement Expenses	3.46	1.80	1.66	As per guidelines of the fees fixation committee the maximum allowable expenses is 1% of the total expenditure of the year.
6.	Electricity Expenses	4.22	3.80	0.42	Part of Electricity expenses relates to hostel building therefore 10% disallowed.
7.	Generator Expenses	0.65	0.59	0.06	Part of Generator expenses relates to hostel building therefore 10% disallowed.
8.	Hostel and Mess Expenses	3.09	-	3.09	Hotel and Mess expenses are disallowed as institute is taking Hostel and Mess fees separately.
9.	Bus Running & Maintenance	3.20	-	3.20	Bus Running and Maintenance expenses are disallowed as institute is taking Bus Running and Maintenance fees separately.
10.	Repair and Maintenance	1.12	1.01	0.11	Part of Repair and Maintenance relates to hostel building therefore 10% disallowed.
11.	Security Expenses	1.73	1.56	0.17	Part of Security Expenses relates to hostel building therefore 10% disallowed.
12.	Uniform Expenses	1.67	-	1.67	Uniform expenses are disallowed as institute is taking Uniform fees separately.
13.	Publicity Expenses	0.85	-	0.85	As advertisement expenses is already allowed 1% hence publicity expenses fully



					disallowed.
14.	Interest and charges paid on finance	27.04	1.80	25.24	Interest Maximum upto Rs. 3,000 per student or 25% of the expenditure whichever is less is allowable as per guidelines of Technical Educational Department (UP Government).
14.	Depreciation on Assets	56.66	24.08	32.58	The Depreciation allowed is as per SLM of Companies act 1956, even in the case of Library Books where Institution has charged less depreciation in the balance sheet the higher depreciation under SLM has been allowed.
	TOTAL	146.03	64.68	81.35	

